185

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म०प्र०

प्र.क्र. /पी.बी.आर/२०१८/निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/1888

श्री .... द्वारा आज दि० 28-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-3-18 नियत। 28-2-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

१ लोकेश गुप्ता पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता
२ रामसेवक गुप्ता पुत्र श्री गणपतराव गुप्ता निवासीगण सिन्धी कॉलोनी तिराहा लश्कर ग्वालियर

--प्रार्थीगण

बनाम

शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर

-- प्रतिप्रार्थी

28/02/018

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक १८७/अ-२/२०१७-१८ नोटिस आदेश दिनांक २९.०१.२०१८ अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भूराजस्व संहिता १९५९

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिपत्य तथ्यः-

१ यहकि प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का रिहायशी मकान लगभग ६५ वर्ष पूर्व का निर्मित मकान है तथा संहिता के पूर्व से आबादी के रूप मे स्थित होकर ग्राम गुढा तहसील व जिला ग्वालियर में है।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर अग्रिम प्रति ...... पृष्ठ क्र. ...... दिनांक 28/2/18 हस्ताक्षर व नाम ......

२ यहकि हल्का पटवारी के द्वारा गलत रूप से उक्त मकान पर प्रतिवेदन तैयार कर व्यपवर्तन किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थीगणों को विरूद्ध नोटिस जारी कर अधिकतम जुर्माना अदा किये

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/18/1488 [लोकेश/शासन]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-18	उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर के द्वारा पारित नोटिस दि. 29-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को नोटिस जारी करते हुये बिना स्वीकृति प्राप्त किये भूमि का स्वरूप परिवर्तित किये जाने के कारण जुर्माना प्रस्तावित कर आवेदक को साक्ष्य के लिये उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	